



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092021-229902
CG-DL-E-23092021-229902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539]
No. 539]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सं. 76/2021 – सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 655(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 51ख की उपधारा (1) (एतदपश्चात् “अधिनियम” के रूप में संदर्भित), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के लिए योजना (एतदपश्चात् “योजना” के रूप में संदर्भित), के तहत निर्यात किए गए माल के लिए क्रेडिट जारी करने का तरीका ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, जैसा कि विदेश व्यापार नीति (एतदपश्चात् “एफटीपी” के रूप में संदर्भित) के पैराग्राफ 4.01 (ड) में निर्दिष्ट है, अधिसूचित करती है।

2. ऐसा ड्यूटी क्रेडिट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, यथा: -

(1) कि ड्यूटी क्रेडिट जारी किया गया हो जब-

(क) निर्यातित माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में उपयोग की जानेवाली किसी भी सामग्री पर या भारत में ऐसे माल पर कोई प्रक्रिया करने के लिए, किसी भी शुल्क या कर या उगाही की छूट के बदले, जहां ऐसा शुल्क या कर या उगाही किसी अन्य योजना के तहत छोड़ा या जमा नहीं किया गया है;

(ख) एफटीपी के परिशिष्ट 4 आर (एतदपश्चात् “परिशिष्ट” के रूप में संदर्भित) में अधिसूचित माल के निर्यात के नामे, उक्त परिशिष्ट के तहत अधिसूचित संबंधित दर और उपरी सीमा पर;

बशर्ते कि योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट की गणना के लिए उक्त माल का मूल्य उसके घोषित निर्यात एफओबी मूल्य या उक्त माल के बाजार मूल्य के 1.5 गुना तक हो, जो भी कम हो;

(ग) सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में मद स्तर पर एक निर्यातक द्वारा योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के दावे के नामे उचित घोषणा प्रदान करके;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रस्तुत किये गए, 1 जनवरी 2021 या उसके बाद के शिपिंग बिल या निर्यात के बिल के नामे, और जहां उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत निर्यात के लिए माल की निकासी और लदान की मंजूरी की अनुमति का आदेश दिया गया है;

(ङ.) सीमा शुल्क द्वारा, आवश्यक जांच के पश्चात दावे की अनुमति दी गई है, जिसमें उचित चयन मानदंड के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन का आधार शामिल है, तथा निर्यात घोषणा पत्र या निर्यात रिपोर्ट दाखिल करने के बाद;

(च) ड्यूटी क्रेडिट, ई-स्क्रिप या इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर के संबंध में जारी किए गए किसी भी नियम या विनियमनों के अनुसार;

(2) यह कि इस प्रकार का ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रथम अनुसूची के तहत भारत में आयातित माल पर लगाने वाले सीमा शुल्क ड्यूटी के भुगतान के लिए किया जाएगा;

(3) यह कि इसके साथ संलग्न तालिका -1 में सूचीबद्ध निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट के लिए पात्र नहीं होंगे;

(4) यह कि परिशिष्ट में अधिसूचित माल के निर्यात के नामे योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत भारत में ऐसे माल की बिक्री आय की प्राप्ति के लिए अनुमत अवधि के अधीन होगा, ऐसा न करने पर ड्यूटी क्रेडिट अपात्र समझा जाएगा;

(5) यह कि आयात और निर्यात बंदरगाहों, हवाई अड्डों या अंतर्देशीय कंटेनर डिपो के माध्यम से या भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से किए जाते हैं जो सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली पर आयात बिल और शिपिंग बिल अथवा निर्यात के बिल को प्रस्तुत करने और संसाधित करने की अनुमति देते हैं;

(6) यह कि निर्यातक द्वारा पहले निर्यात किए गए माल के लिए बिक्री आय की प्राप्ति उक्त निर्यातक द्वारा हो चुकी हो, जहां भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अनुमत अवधि या उक्त अवधि के किसी भी विस्तार सहित, समाप्त हो गई हो;

बशर्ते कि सीमा शुल्क द्वारा ड्यूटी क्रेडिट पहले किए गए माल के निर्यात के नामे, बिक्री आय के अप्राप्त हिस्से से संबंधित ड्यूटी क्रेडिट की अपात्र राशि को घटाकर बची हुई राशि जारी किया जाएगा;

बशर्ते कि प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क या आयुक्त सीमा शुल्क के पास जोखिम मूल्यांकन के आधार पर या जांच के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि निर्यात माल पर एक निर्यातक द्वारा किए गए ड्यूटी क्रेडिट का दावा वास्तविक नहीं हो सकता है, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे निर्यातों की बिक्री आय की प्राप्ति के बाद ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति देने का निर्देश दे सकता है;

(7) नेपाल, भूटान और म्यांमार को निर्यात के लिए, योजना के तहत ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति, भारतीय निर्यातकों के पक्ष में नेपाल, भूटान और म्यांमार में आयातकों द्वारा केवल ऐसे माल के मूल्य के लिए स्थापित स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अपरिवर्तनीय लेटर ऑफ़ क्रेडिट के नामे बिक्री आय की वसूली पर दी जाएगी।

3. ड्यूटी क्रेडिट रद्द करना: (1) जहां कोई व्यक्ति अधिनियम या लागू समय में किसी अन्य कानून अथवा उसके तहत बनाए गए निर्यात के संबंध में, नियम या विनियम जो ड्यूटी क्रेडिट से संबंधित है या ई-स्क्रिप के संबंध में, किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क के आयुक्त जिनका क्षेत्राधिकार ई-स्क्रिप का पंजीकरण के सीमा शुल्क स्टेशन पर हो, जांच के बाद उक्त ड्यूटी क्रेडिट या ई-स्क्रिप को रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है।

(2) जहां ई-स्क्रिप को इस प्रकार रद्द किया जाता है, उक्त ई-स्क्रिप में ड्यूटी क्रेडिट राशि को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और सीमा शुल्क के उचित अधिकारी ऐसी ई-स्क्रिप में उपयोग की गई या इस प्रकार हस्तांतरित ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली की कार्यवाही करेंगे।

(3) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, उप-खंड(1) के तहत जांच के लंबित रहने के दौरान इस अधिनियम अथवा लागू समय में किसी भी अन्य कानून के अंतर्गत किए जानेवाले कार्रवाई की पूर्वधारणा के बिना, उक्त ई-स्क्रिप या ऐसे निर्यातक के इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर या इस प्रकार के ई-स्क्रिप से हस्तांतरित किसी ड्यूटी क्रेडिट के प्रचालन को स्थगित कर सकते हैं।

4. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली: (1) जहां किसी भी कारण से निर्यातक के हक से अधिक ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति दी गई है, निर्यातक इस तरह की अनुमत अधिक राशि ब्याज सहित स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त ड्यूटी क्रेडिट के उस हिस्से पर, जिसका उपयोग या हस्तांतरण किया गया है, भुगतान करेगा और जहां निर्यातक, जैसा लागू हो, ब्याज सहित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, यह अधिनियम की धारा 142 में उपबंधित तरीके से वसूल की जाएगी।

(2) उप-खंड (1) के तहत एक निर्यातक द्वारा इस प्रकार चुकाए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट राशि को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा, और यदि निर्यातक उक्त राशि को इस प्रकार मांगी गई ब्याज सहित पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर चुकाने में विफल रहता है, तो सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, निर्यातक के खिलाफ, किसी भी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, इस अधिनियम की धारा 142 में दिए गए तरीके से अंतरिती से उक्त ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली की कार्रवाई कर सकते हैं।

5. ड्यूटी क्रेडिट की राशि की वसूली, जहां निर्यात आय प्राप्त नहीं की गई हो:- (1) जहां एक निर्यातक को ड्यूटी क्रेडिट की राशि की अनुमति दी गई है, लेकिन ऐसे निर्यात माल के संबंध में बिक्री आय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के तहत अनुमत अवधि के भीतर भारत में निर्यातक द्वारा प्राप्त नहीं की गई है, निर्यातक, स्वयं या उचित अधिकारी द्वारा मांग पर, उक्त अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर उस धारा के प्रयोजनों के लिए, ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की राशि चुकाएगा।

(2) यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिक्री आय की प्राप्ति के लिए उक्त अवधि का कोई विस्तार दिया गया है और निर्यातक सीमा शुल्क के उचित अधिकारी को इस तरह के विस्तार का प्रमाण प्रस्तुत करता है, और यदि उक्त बिक्री आय की प्राप्ति ऐसी विस्तारित अवधि में नहीं की जाती है, निर्यातक उक्त अवधि की समाप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त ब्याज के साथ ड्यूटी क्रेडिट की उक्त राशि का भुगतान करेगा।

(3) ऐसे मामले जहाँ पूरी बिक्री आय प्राप्त नहीं हुई हो लेकिन बिक्री की आय का एक हिस्सा प्राप्त किया गया हो, तो वसूल किए जाने वाले ड्यूटी क्रेडिट की राशि अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि के उस हिस्से के बराबर होगी, जिसका अनुपात वही होगा जो अप्राप्त बिक्री आय का कुल बिक्री आय से होता है।

(4) जहां निर्यातक पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर ड्यूटी क्रेडिट राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, उक्त ड्यूटी क्रेडिट को कभी भी अनुमत नहीं माना जाएगा और इसे उक्त ब्याज के साथ, जैसा कि अधिनियम की धारा 142 में दिया गया है, वसूल किया जाएगा।

(5) सीमा शुल्क के उचित अधिकारी, निर्यातक के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 142 में दिए गए तरीके से अंतरिती से उक्त ड्यूटी क्रेडिट राशि की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।

6. किसी भी वसूली के लंबित रहने के दौरान, जैसा कि खंड 4 और 5 में प्रावधान किया गया है, ऐसे निर्यातक को किसी भी आगामी निर्यातों पर आगे ड्यूटी क्रेडिट की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसी वसूली नहीं हो जाती तथा निर्यातक एवं अंतरिती के पास कोई अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट ऐसी वसूली के लंबित रहने तक स्थगित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए-

(क) "दावा" का अर्थ है योजनाओं के तहत एक निर्यातक द्वारा शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में, सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में उक्त शिपिंग बिल या निर्यात के बिल में आइटम स्तर पर उचित घोषणा प्रदान कर के ड्यूटी क्रेडिट का दावा;

(ख) "ड्यूटी क्रेडिट" का अर्थ है योजनाओं के तहत दावे के नामे सीमा शुल्क द्वारा अनुमत ड्यूटी क्रेडिट की राशि;

(ग) "इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर" का अर्थ है सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में लेजर जो उस व्यक्ति से संबंधित है जो ड्यूटी क्रेडिट प्राप्तकर्ता है या जिस व्यक्ति को ड्यूटी क्रेडिट स्थानांतरित किया गया है;

(घ) "ई-स्क्रिप" का अर्थ है, ड्यूटी क्रेडिट के लिए लेजर में बनाई गई स्क्रिप, जैसा कि अधिनियम की धारा 28ककक की व्याख्या 1 में उल्लेखित है;

(ड.) "निर्यात घोषणा पत्र" या "निर्यात रिपोर्ट" का अर्थ अधिनियम की धारा 41 में उल्लेखित है;

(च) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ है भारत सरकार द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में प्रकाशित और समय-समय पर संशोधित विदेश व्यापार नीति;

(छ) "उचित अधिकारी" का अर्थ है सीमा शुल्क के उपायुक्त या सहायक आयुक्त;

तालिका-1

क्र. सं.	ड्यूटी क्रेडिट के लिए अपात्र निर्यात श्रेणियां या क्षेत्र
(1)	(2)
1.	माल, जो आईटीसी-एचएस में निर्यात नीति की अनुसूची -2 के तहत निर्यात के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध हैं
2.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.46 के अंतर्गत आनेवाले आयातित माल का निर्यात
3.	ट्रांस-शिपमेंट के माध्यम से निर्यात, जिसका अर्थ है ऐसे निर्यात जो तीसरे देश में उत्पन्न हो रहे हैं लेकिन भारत के रास्ते ट्रांस-शिप किए गए हैं
4.	न्यूनतम निर्यात मूल्य या निर्यात शुल्क के अधीन माल
5.	विदेश व्यापार नीति के तहत डीमड निर्यात
6.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / जैव-प्रौद्योगिकी पार्क / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित किसी भी इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
7.	सौ प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाई के रूप में लाइसेंस प्राप्त इकाई द्वारा निर्मित या निर्यात किया गया माल
8.	प्रासंगिक विदेश व्यापार नीति के तहत जारी अग्रिम प्राधिकरण या शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण के तहत निर्यात किया गया माल
9.	घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निर्मित तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र की इकाइयों को आपूर्ति किया गया माल
10.	विशेष आर्थिक क्षेत्र / मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र / निर्यात उन्मुख इकाई / इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क / जैव-प्रौद्योगिकी पार्क / निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र में निर्मित और डीटीए इकाइयों के माध्यम से निर्यात किया गया माल
11.	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 65 के तहत एक भंडारण क्षेत्र में आंशिक या पूर्ण रूप से निर्मित माल
12.	अधिसूचना सं. 32/1997-सीमा शुल्क, दिनांक 1 अप्रैल 1997 का लाभ उठाने वाले माल
13.	माल, जिसके लिए ड्यूटी क्रेडिट का दावा सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में शिपिंग बिल या निर्यात बिल में दर्ज नहीं किया गया है
14.	माल जो विनिर्माण के बाद उपयोग में लिया गया है।

[फा. सं. सीबीआईसी-140605/12/2021-निदेशक (प्रतिअदायगी) का कार्यालय-सीबीईसी]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

No. 76/2021- Customs (N.T.)

G.S.R. 655(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Central Government, hereby notifies the manner to issue duty credit for goods exported under the Scheme for Remission of Duties and Taxes on Exported Products (hereinafter referred to as the “Scheme”), subject to such conditions and restrictions as specified herein, in accordance with paragraph 4.01(e) of the Foreign Trade Policy (hereinafter referred to as “FTP”).

2. Such duty credit shall be subject to the following conditions, namely:-

(1) that the duty credit is issued -

(a) in lieu of remission of any duty or tax or levy, chargeable on any material used in the manufacture or processing of goods or for carrying out any operation on such goods in India that are exported, where such duty or tax or levy is not exempted, remitted or credited under any other Scheme;

(b) against export of goods notified in Appendix 4R (hereinafter referred to as the “Appendix”) of the FTP, at the respective rate and cap notified under the said Appendix:

Provided that the value of the said goods for calculation of duty credit to be allowed under the Scheme shall be the declared export FOB value of the said goods or up to 1.5 times the market price of the said goods, whichever is less;

(c) against claim of duty credit under the Scheme made by an exporter by providing the appropriate declaration at the item level in the shipping bill or bill of export in the customs automated system;

(d) against the shipping bill or bill of export, presented under section 50 of the said Act on or after the 1st day of January, 2021, and where the order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 of the said Act has been made;

(e) after the claim is allowed by Customs upon necessary checks, including on the basis of risk evaluation through appropriate selection criteria, and after filing of export manifest or export report;

(f) in accordance with any rules or regulations issued in relation to duty credit, e-scrip or electronic duty credit ledger;

(2) that such duty credit shall be used for payment of the duty of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) on goods when imported into India;

(3) that the export categories or sectors listed in Table-1 annexed hereto shall not be eligible for duty credit under the Scheme;

(4) that the duty credit allowed under the Scheme against export of goods notified in the Appendix shall be subject to realization of sale proceeds in respect of such goods in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999); failing which such duty credit shall be deemed to be ineligible;

(5) that the imports and exports are undertaken through the seaports, airports or through the inland container depots or through the land customs stations which allow the bill of entry and shipping bill or bill of export to be presented and processed electronically on the customs automated system;

(6) that the exporter has realised the sale proceeds against export of goods made earlier by the said exporter where the period allowed for realization, including any extension of the said period by the Reserve Bank of India, has expired:

Provided that duty credit shall be issued by Customs in excess of the ineligible amount of duty credit pertaining to the unrealised portion of sale proceeds against export of goods made earlier:

Provided further that if the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs has reason to believe, on the basis of risk evaluation or on the basis of enquiry, that the claim of duty credit made by an exporter on export goods may not be bona fide, he may direct, for reasons to be recorded in writing, to allow duty credit after realisation of sale proceeds of such exports;

(7) that duty credit under the Scheme for exports made to Nepal, Bhutan and Myanmar shall be allowed only upon realization of sale proceeds against irrevocable letters of credit in freely convertible currency established by importers in Nepal, Bhutan and Myanmar in favour of Indian exporters for the value of such goods.

3. Cancellation of duty credit. - (1) Where a person contravenes any of the provisions of the Act or any other law for the time being in force or the rules or regulations made thereunder in relation to exports to which the duty credit relates, or in relation to the e-scrip, the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs having jurisdiction over the customs station of registration of the e-scrip may, after enquiry, pass an order to cancel the said duty credit or e-scrip.

(2) Where the e-scrip is so cancelled, the duty credit amount in the said e-scrip shall be deemed never to have been allowed and the proper officer of Customs shall proceed to recover the duty credit amount used in such e-scrip or transferred from such e-scrip.

(3) The proper officer of Customs may, without prejudice to any other action that may be taken under this Act or any other law for the time being in force, suspend the operation of the said e-scrip or the electronic duty credit ledger of such exporter or any duty credit transferred from such e-scrip, during pendency of the enquiry under sub-clause (1).

4. Recovery of amount of duty credit. - (1) Where an amount of duty credit has, for any reason, been allowed in excess of what the exporter is entitled to, the exporter shall repay the amount so allowed in excess, himself or on demand by the proper officer, along with interest, at the rate as fixed under section 28AA for the purposes of that section, on that portion of duty credit allowed in excess, which has been used or transferred, and where the exporter fails to repay the amount along with interest, as applicable, it shall be recovered in the manner provided in section 142 of the said Act.

(2) The duty credit amount that an exporter is so required to repay under sub-clause (1) shall be deemed never to have been allowed, and if the exporter fails to repay the said amount within a period of fifteen days along with interest so demanded, then the proper officer of Customs may, without prejudice to any action against the exporter, proceed for recovery of the said duty credit amount from the transferee in the manner as provided in section 142 of the said Act.

5. Recovery of amount of duty credit where export proceeds are not realised. - (1) Where an amount of duty credit has been allowed to an exporter but the sale proceeds in respect of such export goods have not been realized by the exporter in India within the period allowed under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the exporter shall, himself or on demand by the proper officer, repay the amount of duty credit, along with interest, at the rate as fixed under section 28AA of the said act for the purposes of that section, within fifteen days of expiry of the said period.

(2) In case any extension of the said period for realisation of sale proceeds has been given by the Reserve Bank of India and the exporter produces evidence of such extension to the proper officer, and if the said sale proceeds are not realised in such extended period, the exporter shall repay the said amount of duty credit along with the said interest, within fifteen days of expiry of the said period.

(3) If a part of the sale proceeds has been realized, the amount of duty credit to be recovered shall be the amount equal to that portion of the amount of duty credit allowed which bears the same proportion as the portion of the sale proceeds not realized bears to the total amount of sale proceeds.

(4) Where the exporter fails to repay the duty credit amount within the said period of fifteen days, the said duty credit shall be deemed never to have been allowed and it shall be recovered, along with the said interest, in the manner as provided in section 142 of the said Act.

(5) The proper officer of Customs may, without prejudice to any action against the exporter, proceed for recovery of said duty credit amount from the transferee in the manner as provided in section 142 of the said Act.

6. During the pendency of any recovery, as provided in clauses 4 and 5, no further duty credit, on any subsequent exports, shall be allowed to such exporter till the time such recovery is made and any unutilised duty credit with the exporter or the transferee shall be suspended pending such recovery.

Explanation – For the purposes of this notification -

(a) “Claim” means a claim of duty credit under the Scheme made by an exporter in the shipping bill or bill of export by providing the appropriate declaration at the item level in the said shipping bill or bill of export in the customs automated system;

- (b) “Duty credit” means the amount of credit of duty allowed by Customs against a claim under the Scheme;
- (c) “Electronic duty credit ledger” means the ledger in the customs automated system relating to a person who is the recipient of duty credit or to person to whom the duty credit is transferred;
- (d) “E-scrip” means the scrip, created in the ledger for duty credit, as mentioned in Explanation 1 of section 28AAA of the said Act;
- (e) “Export manifest” or “export report” means the reference to the terms used in Section 41 of the said Act;
- (f) “Foreign Trade Policy” means the Foreign Trade Policy published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry and as amended from time to time;
- (g) “Proper officer” means Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs.

TABLE-1

Sl. No.	Export categories or sectors ineligible for duty credit
(1)	(2)
1.	Goods which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC-HS
2.	Export of imported goods covered under paragraph 2.46 of Foreign Trade Policy
3.	Exports through trans-shipment, meaning thereby exports that are originating in third country but trans-shipped through India
4.	Goods subject to minimum export price or export duty
5.	Deemed exports under Foreign Trade Policy
6.	Goods manufactured or exported by any of the units situated in Special Economic Zone/ Free Trade Warehousing Zone/Electronic Hardware Technology park/Bio-Technology park/ Export Processing Zone
7.	Goods manufactured or exported by a unit licensed as hundred per cent Export Oriented Unit
8.	Goods exported under Advance Authorisation or Duty Free Import Authorisation issued under the relevant Foreign Trade Policy
9.	Goods manufactured and supplied by units in Domestic Tariff Area to units in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone
10.	Goods manufactured in Special Economic Zone/Free Trade Warehousing Zone / Export Oriented Unit / Electronic Hardware Technology Park /Bio-Technology Park/ Export Processing Zone and exported through DTA unit
11.	Goods manufactured partly or wholly in a warehouse under section 65 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962)
12.	Goods availing the benefit of the notification No. 32/1997-Customs, dated the 1 st April, 1997
13.	Goods for which claim of duty credit is not filed in a shipping bill or bill of export in the customs automated system
14.	Goods that have been taken into use after manufacture.

[F. No. CBIC-140605/12/2021-O/o Dir(Drawback)- CBEC]

GOPAL KRISHNA JHA, Director